जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-17.06.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये हत्या की घटना में लिप्त अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिग में घायल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू, अवैध हथियार-कारतूस व मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.06.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर के जंगल में देवेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को सतीश प्रधान के ट्यूबेल के पास जंगल ग्राम मामौर में गोली/चाकू मारने की घटना घटित हुई थी घटना के दौरान इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया । घायलो को सिविल अस्पताल पानीपत उपचार हेतु ले जाया गया। दौराने उपचार देवेन्द्र उपरोक्त की मृत्यू हो गयी थी । घटना की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस व फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमो का गठन किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे हत्या/लूट/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर के जंगल में हुई व्यक्ति की हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त को शमशान घाट के पास ग्राम मामौर के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गयी फायरिंग में अभियुक्त **नदीम पुत्र इलियास निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली** को घायल/गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी कैराना भेजा गया। अभियुक्त नदीम के कब्जे से आलाकत्ल 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व बिना नम्बर प्लेट वाली 01 मोटर साइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त नदीम के साथी अभियुक्त फरमान पुत्र इलियास निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा की गयी फायरिंग में है0का0 पंकज भी घायल हुये है जिनको उपचार हेतु सीएचसी कैराना भेजा गया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार भेजा गया है।

घटना का क्रम/उद्देश्यः- मृतक देवेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा उम्र करीब 45 वर्ष ने थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत यमुना नदी के किनारे स्थित ग्राम मामौर में खेती की जमीन ठेके पर ले रखी है जिस कारण से देवेन्द्र का ग्राम मामौर में निरन्तर आना जाना लगा रहता है। लगभग 01 वर्ष पूर्व गाड़ी की साईड़ लगने को लेकर नदीम व शौबान का देवेन्द्र से विवाद हो गया था। गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियो द्वारा दोनो पक्षो को समझा बुझा कर फैसला करा दिया था। इस बात को लकेर नदीम व शौबान देवेन्द्र से रंजिश मानने लगे थे । नदीम के ताऊ के लड़के फरमान का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था । देवेन्द्र फरमान की पत्नी से चोरी छिपे बात करने लगा था। एक दिन फरमान ने देवेन्द्र को उसकी पत्नी से बाते करते देख लिया था और देवेन्द्र को घर आने के लिये मना किया था परन्तु

देवेन्द्र मना करने के बाद भी घर पर आता रहा। अपनी बदनामी होते देख तीनो ने देवेन्द्र को रास्ते से हटाकर अपनी बेईज्जती का बदला लेने की योजना बनाई। पुरानी रंजिश व बेइज्जती का बदला लेने के उद्वेश्य से कल दिनाँक 16.06.2025 को जब देवेन्द्र व इस्लाम पुत्र लियाम निवासी मामौर मोटरसाइकिल से अपने खेत पर जा रहे थे कि सतीश की टयूबवैल के पास नदीम पुत्र इलियास व सौबान पुत्र इस्लाम निवासीगण ग्राम मामौर के मध्य उपरोक्त बात को लेकर पुनः विवाद हुआ है जिसमें अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर देवेन्द्र को गोली व चाकू मारकर घायल कर दिया गया व इस्लाम के साथ मारपीट की गयी तथा उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल देवेन्द्र व इस्लाम को तत्काल पानीपत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान देवेन्द्र की मृत्यु हो गई व इस्लाम उपचाराधीन है। अभियुक्तगण द्वारा पुरानी रंजिश व बेइज्जती का बदला लेने के उद्वेश्य सेएक राय होकर देवेन्द्र की हत्या की गयी है।

<u>नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.नदीम पुत्र इलियास निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली (घायल)।

2.फरमान पुत्र नासिर निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.आलाकत्ल अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस।

2.मोटर साइकिल स्प्लेण्डर (बिना नम्बर प्लेट)।

3.आलाकत्ल चाकू (अभियुक्त फरमान से बरामद)

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया तार, घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध छूरा बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 15/16.06.2025 की रात्रि में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वेदखेड़ी में अज्ञात चोर द्वारा ट्यूबवैल/नलकूपों से अज्ञात चोर द्वारा तार चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री जयचन्द पुत्र घासीराम निवासी ग्राम वेदखेड़ी थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये तार, घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध छूरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इमरान उर्फ गैम्बलर पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया जला हुआ तांबे का तार 01 किलो 400 ग्राम।

2.घटना में प्रयुक्त उपकरण प्लास, पेचकस आदि।

3.एक अवैध छूरा।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मोबाइल झपटमारी की घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से झपटमारी किया हुआ मोबाइल, अवैध हथियार-कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनांक 12.06.2025 को मोनू कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम खेड़ीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली से सिटी ग्रीन फार्म हाऊस के पास मोटर साईकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाईल झपटमारी की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मोबाइल छीनने की घटना में लिप्त 02 अभियुक्तगण को झपटमारी किये हुये मोबाईल, अवैध हथियार-कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साकिर उर्फ सोनू पुत्र चांद मियां निवासी मौहल्ला नयाजीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2.सोनू पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

1.झपटमारी किया हुआ एक मोबाईल फोन रेड़मी 5 जी।

2.अवैध 02 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पेलण्डर रजि नं0 UP19S8755

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामदः-</u>

दिनांक 16/17.06.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्तगण को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.संदीप पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.साजिद पुत्र असगर निवासी ग्राम जैनपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्हैड़ा में जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 13.06.2025 को वादिया श्रीमती पिंकी पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम बल्हैड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली के पति के साथ अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 17.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्हैड़ा में जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.सद्दाम पुत्र अलीहसन उर्फ लिल्ला निवासी ग्राम बल्हैड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मांगेराम उर्फ मांगा पुत्र कंवरपाल नि0 ग्राम बल्हैडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

प्रेस नोट

जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 12 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 12 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जीतराम पुत्र पातीराम निवासी मौहल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.गौरव पुत्र रणवीर निवासी मौहल्ला सुभाष नगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम भडी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.अनुज पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम समसपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
5.सोनू पुत्र चण सिंह निवासी ग्राम गोहरनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
6.चांदवीर पुत्र सादी निवासी ग्राम मुण्डेटकलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
7.देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।
8.जयद्रथ पुत्र हजारी निवासी मौहल्ला बिसातियान थाना कैराना जनपद शामली।
9.जसवन्त पुत्र हजारी निवासी मौहल्ला बिसातियान थाना कैराना जनपद शामली।
10.नौशाद पुत्र इस्लाम निवासी खेड़ा कुर्तान थाना कांधला जनपद शामली।
11.गय्यूर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खेड़ा कुर्तान थाना कांधला जनपद शामली।
12.इमदाद पुत्र समर उर्फ समरु निवासी ग्राम टोली गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI